**बिहार सरकार,**
**कृषि विभाग**

पत्र सं० –DoH/SS/18/2025-प्रो०गो०प्रा०-62- /कृ०, पटना दिनांक:12/06/,2025

प्रेषक,

**कल्पना कुमारी,**
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

**महालेखाकार, बिहार,**
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

**#अनौपचारिक रूप से परामर्शित** #द्वारा– वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय– **राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 में बीज मसाले धनिया, मेथी, सौंफ, मंगरैल एवं अजवाइन की योजना का कार्यान्वयन तथा कुल 360.00 लाख (तीन करोड़ साठ लाख) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 में बीज मसाले धनिया, मेथी, सौंफ, मंगरैल एवं अजवाइन की योजना का कार्यान्वयन तथा कुल 360.00 लाख (तीन करोड़ साठ लाख) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को चिन्हित् बीज मसाले यथा– धनिया, मेथी, सौंफ, मंगरैल एवं अजवाइन के औषधीय एंव पौष्टिक गुणों को ध्यान में रखते हुये उसकी खेती के कुल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाकर कृषकों के आय में वृद्धि करना है।

3. इस योजना का कार्यान्वयन अनुसूची–1 के अनुसार रबी मौसम में राज्य के सभी जिलों में किया जायेगा।

4. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के ऑपरेशनल गाईडलाइन 2025 के अन्तर्गत बीज मसाला फसलों हेतु लागत 50,000.00 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित है। इस योजना अन्तर्गत बीज मसाला फसलों हेतु लागत 50,000.00 रूपये प्रति हेक्टेयर का 40 प्रतिशत अर्थात् 20,000.00 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिये 60:40 के अनुपात में दो किस्तों में अनुदान दिया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में 12,000.00 रूपये बीज एवं INM/IPM इत्यादि के क्रय पर तथा दूसरे किस्त के रूप में 8,000.00 रूपये भौतिक सत्यापन के पश्चात् अनुदान दिया जायेगा।

5. योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा। रबी मौसम में धनिया, मेथी, सौंफ, मंगरैल एवं अजवाइन के अनुसंशित प्रभेद का गुणवत्तायुक्त सत्यापित बीज किसानों को संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। बीज की उपलब्धता राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, पटना/बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का जिलावार एवं फसलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से संबंधित विवरणी अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है।

6. इस योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.10 हे०) तथा अधिकतम 5.0 एकड़ (2.00 हे०) तक का लाभ कृषकों को दिया जायेगा। बीज मसाले की खेती मुख्य रूप से लघु एवं सीमांत कृषकों के साथ–साथ वैसे कृषक, जिनके पास जमीन नही है, पट्टे और बटाई की जमीन पर बीज मसाले की खेती करने वाले कृषकों को एकरारनामा (अनुसूची–4) के आधार पर योजना का लाभ दिया जायेगा।

7. इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का DBT पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक होगा। विभागीय वेबसाईट http://horticulture.bihar.gov.in पर उपलब्ध "योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन करें" लिंक पर Click कर Dashboard पर उपलब्ध "बीज मसाले की योजना" टैब पर Click कर "आवेदन करें" लिंक पर जाकर आवेदन किया जायेगा। योजना अन्तर्गत कृषकों का चयन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किया जायेगा।

8. उद्यान निदेशालय द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा।

9. संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी द्वारा क्रियान्वित योजना का शत्–प्रतिशत, सहायक निदेशक उद्यान द्वारा 10 प्रतिशत एवं उप निदेशक उद्यान द्वारा 01 प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

10. यह अनुदान की योजना है, इसमें मानव दिवस का सृजन संभावित नही है।

11. इस योजना हेतु 33–01 सब्सिडी विषय शीर्ष से स्वीकृति दी जा रही है परन्तु इस शीर्ष में बजट उपबंध उपलब्ध नहीं है। उद्यान निदेशालय के लिए राज्य योजना मद में 31–06 सहायक अनुदान – गैर वेतन विषय शीर्ष में बजट उपबंध उपबंधित है परन्तु इस विषय शीर्ष में वित्त विभागीय परामर्श अनुसार विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि स्वीकृत/आवंटित करना नियमानुकूल नहीं होने के कारण निदेशक, उद्यान द्वारा सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित राशि को 33–01 सब्सिडी, 28–02 संविदा सेवाएं मद एवं 13–01 कार्यालय व्यय मद में उपबंधित करने हेतु बजट पदाधिकारी –सह– उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार से अनुरोध किया गया है। 33–01 सब्सिडी मद में वित्त विभाग द्वारा राशि उपबंधित होने के पश्चात् ही इस योजना हेतु स्वीकृत राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।

12. योजना संबंधित बजट उपबंध कोटिवार 78.537 : 20.00 : 1.463 के अनुपात में होने के कारण लाभुकों का चयन सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्रमशः अनुपात 78.537 : 20.00 : 1.463 में किया जायेगा।

13. इस योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में अनुसूची–3 के अनुसार संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कोषागार से BTC Form-25 पर CFMS के माध्यम से संबंधित किसानों को DBT in Kind/ DBT in Cash के रूप में अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

14. योजना कार्यान्वयन के क्रम में यथावश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन किया जायेगा।

15. महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

16. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक उद्यान, बिहार होंगे।

17. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध का विवरण निम्नवत् है :–

**(राशि लाख रू० में)**

| बजट शीर्ष | उपबंधित राशि | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या–01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401001190101,विषय शीर्ष 0101–33–01 सब्सिडी। | 19084.49100 | 282.73320 |
| मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–01, उप शीर्ष – 0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007890130, विषय शीर्ष 0130–33–01 सब्सिडी। | 4860.00000 | 72.00000 |
| मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या–01, उपशीर्ष 0152 – उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007960152, विषय शीर्ष 0152–33–01 सब्सिडी। | 355.50900 | 5.26680 |
| **कुल** | **24300.00000** | **360.00000** |
| **उद्यान निदेशालय के पत्रांक–431 दिनांक–18.04.2025 के द्वारा विषयशीर्ष 31–06 सहायक अनुदान गैर वेतन में उपलब्ध उपबंधित राशि को विषयशीर्षवार 33–01 सब्सिडी, 28–02 संविदा सेवाएँ मद एवं 13–01 कार्यालय व्यय मद में उपलब्ध कराने हेतु उप सचिव–सह–बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग से अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के आलोक में विषयशीर्षवार राशि का उपबंध अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्ति होने के पश्चात् ही राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।** | | |

18. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक 04.06.2025 को सचिव, कृषि की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में अनुशंसा प्राप्त है। योजना प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या DoH/SS/18/2025 के पृ0सं0–08/टि0 पर दिनांक–09.06.2025 को प्राप्त है।

19. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

**20.** स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या DoH/SS/18/2025 के पृ0सं0–10/टि0 पर दिनांक–10.06.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–433 दिनांक–10.06.2025 है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से**

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/18/2025-सी0पी0एम0-62- /कृ०, पटना, दिनांक: 12/06/ ,2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\YOGNA 2025-26\Mirnal Sastri Sir (Gaurav)\Seed Spices (360).doc

ज्ञापांक : DoH/SS/18/2025 -पी०पी०एम०-62- /कृ०, पटना, दिनांक : 12/06/ ,2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/18/2025 -पी०पी०एम०-62- /कृ०, पटना, दिनांक: 12/06/ ,2025

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/18/2025 -पी०पी०एम०-62- /कृ०, पटना, दिनांक : 12/06/ ,2025

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/18/2025 -पी०पी०एम०-62- /कृ०, पटना, दिनांक: 12/06/ ,2025

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना /निदेशक, बामेति, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक उद्यान/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/18/2025 -पी०पी०एम०-62- /कृ०, पटना, दिनांक : 12/06/ ,2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों तथा कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\YOGNA 2025-26\Mirnal Sastri Sir (Gaurav)\Seed Spices (360).doc

| अनुसूची – 1 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **बीज मसाले की योजना का वार्षिक कार्य योजना (2025–26)** | | | | | | |
| क्र० सं० | अवयव | इकाई लागत (लाख रू० में) | अनुदान प्रतिशत | अनुदान की राशि (लाख रू० में) | भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में) | वित्तीय लक्ष्य (लाख रू० में) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | धनिया | 0.50 / हे० | 40% | 0.20 | 750 | 150.00000 |
| 2 | मेथी | 0.50 / हे० | 40% | 0.20 | 600 | 120.00000 |
| 3 | सौंफ | 0.50 / हे० | 40% | 0.20 | 100 | 20.00000 |
| 4 | मंगरैल | 0.50 / हे० | 40% | 0.20 | 150 | 30.00000 |
| 5 | अजवाइन | 0.50 / हे० | 40% | 0.20 | 200 | 40.00000 |
| कुल योग | | | | | **1800** | **360.00000** |

(तीन करोड़ साठ लाख रूपये मात्र)

पवन कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार।

अनुसूची – 2

## वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बीज मसाले की योजना से संबंधित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी

(भौतिक लक्ष्य हेक्टेयर में एवं वित्तीय लक्ष्य लाख रूपये में)

| क्र० सं० | जिला का नाम | धनिया | | मेथी | | सौंफ | | मंगरैल | | अजवाइन | | कुल योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | अररिया | 10 | 2.00000 | 10 | 2.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 20 | 4.00000 |
| 2 | अरवल | 15 | 3.00000 | 10 | 2.00000 | 0 | 0.00000 | 5 | 1.00000 | 5 | 1.00000 | 35 | 7.00000 |
| 3 | औरंगाबाद | 30 | 6.00000 | 20 | 4.00000 | 0 | 0.00000 | 10 | 2.00000 | 10 | 2.00000 | 70 | 14.00000 |
| 4 | बाँका | 15 | 3.00000 | 10 | 2.00000 | 0 | 0.00000 | 5 | 1.00000 | 5 | 1.00000 | 35 | 7.00000 |
| 5 | बेगूसराय | 25 | 5.00000 | 20 | 4.00000 | 0 | 0.00000 | 5 | 1.00000 | 10 | 2.00000 | 60 | 12.00000 |
| 6 | भागलपुर | 25 | 5.00000 | 20 | 4.00000 | 0 | 0.00000 | 5 | 1.00000 | 10 | 2.00000 | 60 | 12.00000 |
| 7 | भोजपुर | 15 | 3.00000 | 10 | 2.00000 | 0 | 0.00000 | 5 | 1.00000 | 10 | 2.00000 | 40 | 8.00000 |
| 8 | बक्सर | 15 | 3.00000 | 10 | 2.00000 | 0 | 0.00000 | 5 | 1.00000 | 10 | 2.00000 | 40 | 8.00000 |
| 9 | दरभंगा | 15 | 3.00000 | 10 | 2.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 25 | 5.00000 |
| 10 | पूर्वी चम्पारण | 30 | 6.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 5 | 1.00000 | 0 | 0.00000 | 60 | 12.00000 |
| 11 | गया | 25 | 5.00000 | 20 | 4.00000 | 5 | 1.00000 | 10 | 2.00000 | 10 | 2.00000 | 70 | 14.00000 |
| 12 | गोपालगंज | 20 | 4.00000 | 20 | 4.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 40 | 8.00000 |
| 13 | जमुई | 10 | 2.00000 | 10 | 2.00000 | 5 | 1.00000 | 5 | 1.00000 | 5 | 1.00000 | 35 | 7.00000 |
| 14 | जहानाबाद | 20 | 4.00000 | 20 | 4.00000 | 35 | 7.00000 | 10 | 2.00000 | 10 | 2.00000 | 95 | 19.00000 |
| 15 | कैमूर | 15 | 3.00000 | 10 | 2.00000 | 0 | 0.00000 | 10 | 2.00000 | 10 | 2.00000 | 45 | 9.00000 |
| 16 | कटिहार | 15 | 3.00000 | 15 | 3.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 30 | 6.00000 |
| 17 | खगड़िया | 10 | 2.00000 | 10 | 2.00000 | 5 | 1.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 25 | 5.00000 |
| 18 | किशनगंज | 10 | 2.00000 | 10 | 2.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 20 | 4.00000 |
| 19 | लखीसराय | 20 | 4.00000 | 20 | 4.00000 | 10 | 2.00000 | 5 | 1.00000 | 10 | 2.00000 | 65 | 13.00000 |
| 20 | मधेपुरा | 10 | 2.00000 | 10 | 2.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 20 | 4.00000 |
| 21 | मधुबनी | 10 | 2.00000 | 10 | 2.00000 | 5 | 1.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 25 | 5.00000 |
| 22 | मुंगेर | 15 | 3.00000 | 10 | 2.00000 | 5 | 1.00000 | 5 | 1.00000 | 10 | 2.00000 | 45 | 9.00000 |
| 23 | मुजफ्फरपुर | 20 | 4.00000 | 20 | 4.00000 | 0 | 0.00000 | 5 | 1.00000 | 10 | 2.00000 | 55 | 11.00000 |
| 24 | नालन्दा | 30 | 6.00000 | 20 | 4.00000 | 5 | 1.00000 | 15 | 3.00000 | 10 | 2.00000 | 80 | 16.00000 |
| 25 | नवादा | 20 | 4.00000 | 10 | 2.00000 | 5 | 1.00000 | 5 | 1.00000 | 10 | 2.00000 | 50 | 10.00000 |
| 26 | पटना | 30 | 6.00000 | 20 | 4.00000 | 5 | 1.00000 | 10 | 2.00000 | 10 | 2.00000 | 75 | 15.00000 |
| 27 | पूर्णिया | 20 | 4.00000 | 20 | 4.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 40 | 8.00000 |
| 28 | रोहतास | 30 | 6.00000 | 20 | 4.00000 | 5 | 1.00000 | 5 | 1.00000 | 5 | 1.00000 | 65 | 13.00000 |
| 29 | सहरसा | 10 | 2.00000 | 10 | 2.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 20 | 4.00000 |
| 30 | समस्तीपुर | 40 | 8.00000 | 30 | 6.00000 | 5 | 1.00000 | 5 | 1.00000 | 10 | 2.00000 | 90 | 18.00000 |
| 31 | सारण | 25 | 5.00000 | 20 | 4.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 5 | 1.00000 | 50 | 10.00000 |
| 32 | शेखपुरा | 15 | 3.00000 | 10 | 2.00000 | 0 | 0.00000 | 5 | 1.00000 | 5 | 1.00000 | 35 | 7.00000 |
| 33 | शिवहर | 10 | 2.00000 | 10 | 2.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 20 | 4.00000 |
| 34 | सीतामढ़ी | 20 | 4.00000 | 20 | 4.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 40 | 8.00000 |
| 35 | सिवान | 25 | 5.00000 | 20 | 4.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 5 | 1.00000 | 50 | 10.00000 |
| 36 | सुपौल | 20 | 4.00000 | 20 | 4.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 40 | 8.00000 |
| 37 | वैशाली | 30 | 6.00000 | 20 | 4.00000 | 5 | 1.00000 | 5 | 1.00000 | 10 | 2.00000 | 70 | 14.00000 |
| 38 | पश्चिमी चम्पारण | 30 | 6.00000 | 20 | 4.00000 | 0 | 0.00000 | 5 | 1.00000 | 5 | 1.00000 | 60 | 12.00000 |
| | **कुल योग** | **750** | **150.00000** | **600** | **120.00000** | **100** | **20.00000** | **150** | **30.00000** | **200** | **40.00000** | **1800** | **360.00000** |

(तीन करोड़ साठ लाख रूपये मात्र)

पवन कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार।

## अनुसूची – 3

### वित्तीय वर्ष 2025–26 में बीज मसाले की योजना के तहत् निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार तथा श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण (राशि लाख रू० में)

| क्र० सं० | जिला /निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम | सामान्य जाति (@78.537) | अनुसूचित जाति (@20.00) | अनुसूचित जनजाति (@1.463) | कुल वित्तीय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सहायक निदेशक उद्यान, अररिया | 3.14148 | 0.80000 | 0.05852 | 4.00000 |
| 2 | सहायक निदेशक उद्यान, अरवल | 5.49759 | 1.40000 | 0.10241 | 7.00000 |
| 3 | सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद | 10.99518 | 2.80000 | 0.20482 | 14.00000 |
| 4 | सहायक निदेशक उद्यान, बाँका | 5.49759 | 1.40000 | 0.10241 | 7.00000 |
| 5 | सहायक निदेशक उद्यान, बेगूसराय | 9.42444 | 2.40000 | 0.17556 | 12.00000 |
| 6 | सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर | 9.42444 | 2.40000 | 0.17556 | 12.00000 |
| 7 | सहायक निदेशक उद्यान, भोजपुर | 6.28296 | 1.60000 | 0.11704 | 8.00000 |
| 8 | सहायक निदेशक उद्यान, बक्सर | 6.28296 | 1.60000 | 0.11704 | 8.00000 |
| 9 | सहायक निदेशक उद्यान, दरभंगा | 3.92685 | 1.00000 | 0.07315 | 5.00000 |
| 10 | सहायक निदेशक उद्यान, पूर्वी चम्पारण | 9.42444 | 2.40000 | 0.17556 | 12.00000 |
| 11 | सहायक निदेशक उद्यान, गया | 10.99518 | 2.80000 | 0.20482 | 14.00000 |
| 12 | सहायक निदेशक उद्यान, गोपालगंज | 6.28296 | 1.60000 | 0.11704 | 8.00000 |
| 13 | सहायक निदेशक उद्यान, जमुई | 5.49759 | 1.40000 | 0.10241 | 7.00000 |
| 14 | सहायक निदेशक उद्यान, जहानाबाद | 14.92203 | 3.80000 | 0.27797 | 19.00000 |
| 15 | सहायक निदेशक उद्यान, कैमूर | 7.06833 | 1.80000 | 0.13167 | 9.00000 |
| 16 | सहायक निदेशक उद्यान, कटिहार | 4.71222 | 1.20000 | 0.08778 | 6.00000 |
| 17 | सहायक निदेशक उद्यान, खगड़िया | 3.92685 | 1.00000 | 0.07315 | 5.00000 |
| 18 | सहायक निदेशक उद्यान, किशनगंज | 3.14148 | 0.80000 | 0.05852 | 4.00000 |
| 19 | सहायक निदेशक उद्यान, लखीसराय | 10.20981 | 2.60000 | 0.19019 | 13.00000 |
| 20 | सहायक निदेशक उद्यान, मधेपुरा | 3.14148 | 0.80000 | 0.05852 | 4.00000 |
| 21 | सहायक निदेशक उद्यान, मधुबनी | 3.92685 | 1.00000 | 0.07315 | 5.00000 |
| 22 | सहायक निदेशक उद्यान, मुंगेर | 7.06833 | 1.80000 | 0.13167 | 9.00000 |
| 23 | सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर | 8.63907 | 2.20000 | 0.16093 | 11.00000 |
| 24 | सहायक निदेशक उद्यान, नालन्दा | 12.56592 | 3.20000 | 0.23408 | 16.00000 |
| 25 | सहायक निदेशक उद्यान, नवादा | 7.85370 | 2.00000 | 0.14630 | 10.00000 |
| 26 | सहायक निदेशक उद्यान, पटना | 11.78055 | 3.00000 | 0.21945 | 15.00000 |
| 27 | सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णिया | 6.28296 | 1.60000 | 0.11704 | 8.00000 |
| 28 | सहायक निदेशक उद्यान, रोहतास | 10.20981 | 2.60000 | 0.19019 | 13.00000 |
| 29 | सहायक निदेशक उद्यान, सहरसा | 3.14148 | 0.80000 | 0.05852 | 4.00000 |
| 30 | सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर | 14.13666 | 3.60000 | 0.26334 | 18.00000 |
| 31 | सहायक निदेशक उद्यान, सारण | 7.85370 | 2.00000 | 0.14630 | 10.00000 |
| 32 | सहायक निदेशक उद्यान, शेखपुरा | 5.49759 | 1.40000 | 0.10241 | 7.00000 |
| 33 | सहायक निदेशक उद्यान, शिवहर | 3.14148 | 0.80000 | 0.05852 | 4.00000 |
| 34 | सहायक निदेशक उद्यान, सीतामढ़ी | 6.28296 | 1.60000 | 0.11704 | 8.00000 |
| 35 | सहायक निदेशक उद्यान, सिवान | 7.85370 | 2.00000 | 0.14630 | 10.00000 |
| 36 | सहायक निदेशक उद्यान, सुपौल | 6.28296 | 1.60000 | 0.11704 | 8.00000 |
| 37 | सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली | 10.99518 | 2.80000 | 0.20482 | 14.00000 |
| 38 | सहायक निदेशक उद्यान, पश्चिमी चम्पारण | 9.42444 | 2.40000 | 0.17556 | 12.00000 |
| | **कुल** | **282.73320** | **72.00000** | **5.26680** | **360.00000** |

(तीन करोड़ साठ लाख रूपये मात्र)

पवन कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार।

अनुसूची – 4

# कृषि विभाग

## उद्यान निदेशालय, बिहार।

### बीज मसाले की योजना का लाभ लेने हेतु एकरारनामा (गैर–रैयत कृषकं)

### (विहित प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि

1. मै.................................................................पिता / पति...............................................................

ग्राम..............................................पोस्ट...........................................पंचायत.........................................

प्रखंड.................................जिला...................................का निवासी हूँ। मैंने बीज मसाले यथा–

धनिया / मेथी / सौंफ / मंगरैल / अजवाइन की खेती हेतु कृषक श्री..............................................

पिता / पति.............................................................ग्राम.............................पोस्ट..............................

पंचायत.......................................प्रखंड.................................................जिला...................................

से खाता संख्या.........................खेसरा संख्या.......................रकवा..................जमीन बटाई / पट्टा

पर प्राप्त किया है।

2. बटाई / पट्टा पर ली गई उपर्युक्त जमीन पर बीज मसाले की खेती की जायेगी।

3. उपर्युक्त सूचना सही है किसी प्रकार का विवाद होने पर उसकी सारी जबावदेही मेरी होगी, तथा मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जा सकता है।

**कृषक का हस्ताक्षर**

खेत के बगल के दो किसानों का नाम एवं हस्ताक्षर

(मोबाईल नं० सहित)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | गवाह का नाम एवं पता | हस्ताक्षर |
| | ............................................ | ........................ |
| | ............................................ | |
| 2 | गवाह का नाम एवं पता | हस्ताक्षर |
| | ............................................ | ........................ |
| | ............................................ | |

सत्यापनकर्ता (कृषि समन्वयक / प्रखंड उद्यान पदाधिकारी / प्रखंड कृषि पदाधिकारी)